प्रेषक

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में

मुख्य विकास अधिकारी
लखनऊ, फैजाबाद, इलाहाबाद व गाजियाबाद,
उ0प्र0।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 13 अगस्त, 2015**

विषय- विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-2016 की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मा0 विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक में विकास कार्य कराने हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 7560000000.00/-(रूपये सात अरब छप्पन करोड मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या-24/2015/519/अड़तीस-9-2014-02(बजट)/2013, दिनांक-03.06.2015 एवं इसके संशोधन विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-25/2015/ 545/अड़तीस-9-2015-04(बजट)/2014, दिनांक-10.06.2015 व कार्यालय ज्ञाप संख्या-26/2015/ 558/अड़तीस-9-15-04(बजट)/2014, दिनांक-22.06.2015 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 4,90,64, 74,000.00 (रूपये चार अरब नब्बे करोड़ चौसठ लाख चौहत्तर हजार मात्र) तथा शासनादेश संख्या-28/2015/585/अड़तीस-9-2015-04(बजट)/2014, दिनांक-01.07.2015 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 1,99,00,500.00 (रूपये एक करोड़ नियानबे लाख पॉच सौ मात्र) के उपरान्त अवशेष धनराशि में से संलग्न सूची "ब" में अंकित मा0 विधान परिषद के 04 मा0 सदस्यगण हेतु प्रति सदस्य रू0 1, 00,00,000.00 (रूपये एक करोड़ मात्र) की दर से रू0 4,00,00,000.00 (रूपये चार करोड़ मात्र) की स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के वैयक्तिक लेखा खाता में जमा की जायेगी। इस धनराशि का व्यय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्वान्तों में उल्लिखित व्यवस्था/प्राविधानों तथा इस निमित्त समय-समय पर जारी शासनादेश के अनुसार ही किया जायेगा।

(2)- सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि की जानकारी तथा शासनादेश की प्रतिलिपि अपने-अपने सम्बन्धित मा0 विधान परिषद सदस्यों को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

(3)- शासनादेश संख्या-107/अड़तीस-9-2015-500(1)/2015, दिनांक-09 मार्च, 2015 द्वारा वांछित प्रदेश के अन्य जनपदों से रिक्तियों/अप्रयुक्त अवशेष धनराशि की सूचना पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही दूसरी किश्त निर्गत की जा सकेंगी।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4)- श्री राम सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद के पत्र दिनांक-15.07.2015, श्रीमती लीलावती कुशवाहा, मा0 सदस्य, विधान परिषद के पत्र दिनांक-15.07.2015, श्री रामवृक्ष सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद के पत्र दिनांक-15.07.2015 व श्री जितेन्द्र यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद के पत्र दिनांक-15.07.2015 द्वारा किये गये अपेक्षा के क्रम में उनका नोडल जनपद क्रमशः लखनऊ, फैजाबाद, इलाहाबाद व गाजियाबाद किया जा रहा है।

(5)- यदि किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का स्थान रिक्त है, तो उस क्षेत्र की धनराशि कोषागार से आहरित नहीं की जायेगी और इसकी सूचना शासन को तत्काल दी जायेगी।

(6)- इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30-03-2015 में किये गये प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक- "4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03-विधायक निधि-42-अन्य व्यय" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30-03-2015 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव ।

<u>संख्या- 36/2015/706 (1) /अड़तीस-9-2015, तददिनांक</u>।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित</u>:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा मुख्य विकास अधिकारी।
4- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
6- निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उ0प्र0।
7- निजी सचिव, मा0 सभापित, विधान परिषद, उ0प्र0।
8- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
10- अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
11- जिलाधिकारी, लखनऊ, फैजाबाद, इलाहाबाद व गाजियाबाद, उ0प्र0।
12- कोषाधिकारी, लखनऊ, फैजाबाद, इलाहाबाद व गाजियाबाद, उ0प्र0।
13- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
14- नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3/ गार्डबुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-36/2015/706/अड़तीस-9-15-04(बजट)/2014, दिनांक-13 अगस्त, 2015 का संलग्नक विधान परिषद के मा0 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र के जनपदों को आवंटित धनराशि की सूची "ब"

क्र0सं0	विधान परिषद सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	नोडल जनपद का नाम	अवमुक्त धनराशि (लाख रूपये में)
78.	श्री राम सिंह यादव,	मनोनीत	लखनऊ	100.00
79.	श्रीमती लीलावती कुशवाहा	मनोनीत	फैजाबाद	100.00
80.	श्री रामवृक्ष सिंह यादव	मनोनीत	इलाहाबाद	100.00
81.	श्री जितेन्द्र यादव	मनोनीत	गाजियाबाद	100.00
योग-				**400.00**

(कुल रूपये चार करोड़ मात्र)

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।